9766/14

AHSAN ALI
Stock Holding Corporation of India Ltd
Office No. 18, 19, 18, 1st Floor Ghari
Bank Road Gorakhpur

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00726974147746M
Certificate Issued Date	:	19-Nov-2014 04:40 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0100871497409824M
Purchased by	:	PAWAN KUMAR SINGHANIA SO DK SI PAR PK PRIME ESTATE
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	MAUJA SHAHPUR TAPPA KASBA PANG HAVELI TEH SADAR DIST GKP GATA NO 301 RAKBA 1531.59 SQMTR.
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	BHARAT BHUSHAN SHARMA S O LT R G SHARMA AND OTHERS
Second Party	:	PAWAN KUMAR SINGHANIA SO DK SI PAR PK PRIME ESTATE
Stamp Duty Paid By	:	PAWAN KUMAR SINGHANIA SO DK SI PAR PK PRIME ESTATE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	33,58,830 (Thirty Three Lakh Fifty Eight Thousand Eight Hundred And Thirty only)

Please write or type below this line

Verified By

Locked By

0001477646

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or call on 022-67271379 or 022-67271380 and so
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and/or in the name of the seller/purchaser
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

9766 1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 596167

मुहल्ला – शाहपुर
वार्ड संख्या 59 (पोषीतुल्य)
क्षेत्रफल 1648.23 वर्ग फीट यानी 1531.59 वर्गमीटर
दर रुपया 20,000/– प्रति वर्ग मीटर (15% ₹ 20% छूट)
मुल्यांकन रुपया 4,60,09,000/–
स्टैम्प 3360630/–
ड्यूटीएम– 33,58,830/–

हम कि भारत भूषण शर्मा व ब्रजभूषण शर्मा व चन्द्रभूषण शर्मा पुत्रगण स्व० रामगोविन्द शर्मा निवासीगण मुहल्ला जेल रोड, शाहपुर, पोस्ट– गोरखाटिका, तहसील–सदर, शहर व जिला–गोरखपुर के हैं, जिन्हें इस विलेख में पक्षकार प्रथम पक्ष कहा गया है।

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597387

एवम्

श्री पवन कुमार सिंघानिया पुत्र श्री विनोद कुमार सिंघानिया पार्टनर पीएमके प्रदाम इन्फ्रोटेक निवास पार्क रोड, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखपुर के हैं, जिन्हें इस विलेख में पक्षकार द्वितीय पक्ष कहा गया है।

ज्ञात हो कि गाटा (आराजी) संख्या 301 (तीन सौ एक) रकबा 1531.59 वर्ग मीटर (एक हजार पाँच सौ एकतीस दशमलव पाँच नौ वर्गमीटर) अन्तर्गत मुहल्ला शाहपुर, तप्पा कसबा, परगना हवेली, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखपुर में स्थित भूखण्ड एवं उसमें बने मकान संख्या सी/130, 346, 347 एवं 348 के मालिक, काबिज मालिक प्रथम पक्ष हैं।

उक्त आराजियात इस सौदेदारी जेल पर पक्षकार प्रथम पक्ष बहुमंजिली वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं।

3

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597388

बहुमंजिली भवन के निर्माण की इच्छा पर द्वितीय पक्ष जो निर्माण कार्य का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, ने यह प्रस्ताव रखा कि यह प्रथम पक्ष के उक्त आराजी इस सौदेदारी जेल पर अपने पैसे से बहुमंजिली वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण करवा देंगे और निर्माण इत्यादि के प्रतिफल में निर्मित भवन में तयशुदा प्रतिशत ले लेंगे। प्राथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया तो पाया कि द्वितीय पक्ष द्वारा दिया गया प्रस्ताव उचित एवं लाभकारी है और प्रथम पक्ष ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

पक्षकार प्रथम पक्ष व पक्षकार द्वितीय पक्ष ने आपसी विचार विमर्श करके आपसी सहमति से इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें तय की स्वीकार

4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597389

किया है और इनके पूर्ण पालन करते रहने के लिए एक दूसरे से यथबद्ध हो गये हैं

1. यहकि उक्त वर्णित रकबे 1531.59 वर्गमीटर (एक हजार पाँच सौ एकतीस दशमलव पाँच नौ वर्ग मीटर) (जिसका पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है और जिसे आगे इस विलेख में "प्रश्नगत सम्पत्ति" कहा गया है) पर नया कामर्शियल व आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण करवाने के लिए यह एग्रीमेन्ट निष्पादित किया जा रहा है।
2. यहकि प्रश्नगत सम्पत्ति पर बहुमंजिली वाणिज्यिक, आवासीय भवन का निर्माण करवाने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र स्वीकृत करवाया जायेगा और उक्त मानचित्र को स्वीकृत कराने में जो भी खर्च आयेगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा वहन

6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597391

5. यहकि अग्रिमेन्ट की व्यवस्था पक्षकार द्वितीय पक्ष करेंगे व इस मद में जो खर्च आयेगा उसे पक्षकार द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।
6. यहकि प्रश्नगत सम्पत्ति में जो भी पुराना निर्माण है उससे पक्षकार द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नही होगा, सम्पत्ति में कोई निर्माण है तो वह इस विल्पर्स एग्रीमेन्ट का भाग नही होगा।
7. यहकि प्रस्तावित निर्माण के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जो नक्शा स्वीकृत किया जावेगा, उस नक्शे के ही अनुसार निर्माण कार्य करवाया जायेगा और निर्माण के लिये यदि अन्य किसी विभाग या अधिकारी के इजाजत की आवश्यकता होगी तो उसे पक्षकार द्वितीय पक्ष अपने नाम से प्राप्त करेंगे। इस सभी कार्यों में आर्थिक सहयोग को छोड़कर अन्य वांछित सहयोग पक्षकार प्रथम पक्ष

5

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597390

किया जायेगा वो प्रथम पक्ष द्वारा आर्थिक सहयोग को छोड़कर ऐसा हर प्रकार का सहयोग दिया जायेगा जो मानचित्र स्वीकृति के लिये आवश्यक हो।

3. यह कि पक्षकार द्वितीय पक्ष अपने स्वयं के खर्चे से बहुमंजिली वाणिज्यिक, आवासीय भवन का निर्माण करवायेंगे व भविष्य में भी उससे सम्बन्धित समस्त भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. यहकि होने वाले निर्माण के लिए विद्युतीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से ट्रान्सफारमर आदि का एलाटमेन्ट, इन्साटालमेन्ट पक्षकार द्वितीय पक्ष अपने अथवा प्रथम पक्ष के नाम से करवायेंगे व विद्युतीकरण भी करवायेंगे व इस मद में जो खर्च आयेगा उसे पक्षकार द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेंगे।

7

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597392

द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के पक्षकार द्वितीय पक्ष को प्रदान किया जायेगा।

8. यहकि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी पक्षकार द्वितीय पक्ष की होगी पक्षकार प्रथम पक्ष इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी या जिम्मेदार नही होगें।
9. यहकि प्रस्तावित वाणिज्यिक एवं आवासीय बहुमंजिली भवन के दुकानों एवं कमरों तथा सम्बन्धित कॉमन एरिया जैसे–पैसेज, सीढ़ी, लिफ्ट, छज्जा इत्यादि की फ्लेयरिंग, बिजली वायरिंग, पेंटिंग, आदि का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।
10. यहकि प्रस्तावित भवन का सम्पूर्ण निर्माण के उपरान्त यदि छः माह के अन्दर सिविल व इलेक्ट्रिकल वर्क में कोई कमी (defect) पाया

8

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597393

जाता है तो उसके लिये द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होंगे व ऐसी कमी को ठीक करवायें।

11. यह कि प्रस्तावित भवन के निर्माण को हर तौर पर पूरा हो जाने के उपरान्त भवन में 50 प्रतिशत हिस्से पर पक्षकार प्रथम पक्ष व 50 प्रतिशत हिस्से पर पक्षकार द्वितीय पक्ष का स्वामित्व होगा।
12. यहकि यह विल्पर्स एग्रीमेन्ट प्रथम पक्ष के सम्पूर्ण हक व हिस्से के रकबे के लिए निष्पादित किया जा रहा है और यदि भविष्य में रकबा घटता–बढ़ता है तो ऐसे रकबे में हुये नवनिर्माण में भी प्रथम पक्ष का हिस्सा 50 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का हिस्सा 50 प्रतिशत होगा।
13. यहकि प्रस्तावित भवन का प्रारूप संलग्न नक्शा के अनुसार बेसमेन्ट 1– पार्किंग होगा व बेसमेन्ट–2, ग्राउण्ड फ्लोर तथा प्रथम

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597394

फ्लोर का निर्माण वाणिज्यिक होगा और द्वितीय एवं तृतीय फ्लोर का निर्माण आवासीय होगा। अर्थात् पार्किंग के फ्लोर को छोड़कर नीचे से तीन तल तक वाणिज्यिक एवं उसके ऊपर के दो तल पर आवासीय निर्माण होगा है, जिसमें प्रत्येक तल पर दोनों पक्षों का हिस्सा लम्बवत् (Vertically) समान रूप से तय प्रतिशत के अनुसार बराबर–बराबर भागों में विभाजित होते हुए एक भाग प्रथम पक्ष को प्राप्त होगा तथा दूसरा भाग द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा। प्रत्येक पक्ष को अपने–अपने हिस्से को हस्तानान्तरित करने का अधिकार होगा।

14. यह कि प्रस्तावित भवन का निर्माण पूरा होने के पश्चात इस विलेख के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये गये हिस्से के मालिक, काबिज प्रथम पक्ष होगें तथा संलग्न मानचित्र में

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597395

जो हिस्सा पीला रंग से दर्शाया गया है, उस हिस्से के मालिक, काबिज द्वितीय पक्ष होगें।

15. यह कि प्रस्तावित भवन के निर्माण को हर तौर पर पूरा हो जाने के उपरान्त भवन के प्रत्येक तल पर जो रकबा नक्शा नजरी में लाल रंग के लाइन वो अक्षर O से चिह्नित किया गया है, उसके पूर्ण स्वामी व काबिज दखील पक्षकार प्रथम पक्ष होगें व उक्त रकबे पर कायम रहकर बतौर स्वांगी के प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग करने, प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने, लीज या किराये पर देने इत्यादि का पूर्ण अधिकार पक्षकार प्रथम पक्ष को रहेगा। उक्त नक्शा में प्रत्येक तल के निर्माण जो लाल रंग के लाइन वो अक्षर O से चिह्नित वो दर्शित किया गया है, के स्वामित्व वो कब्जा से पक्षकार द्वितीय का कोई भी वास्ता या सरोकार या अधिकार नही रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597396

16. यहकि प्रस्तावित भवन के निर्माण को हर तौर पर पूरा हो जाने के उपरान्त भवन के प्रत्येक तल पर जो रकबा नक्शा नजरी में पीला रंग के लाईन व अक्षर B से चिन्हित व दर्शित किया गया है, के पूर्ण स्वामी व कायिज दखील पक्षकार द्वितीय पक्ष होगें व उक्त रकबे पर कायम रहकर बतौर स्वामी के प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग करने, प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने, लीज या किराये पर देने इत्यादि का पूर्ण अधिकार पक्षकार द्वितीय पक्ष को रहेगा। उक्त नक्शा में प्रत्येक तल के निर्माण जो पीले रंग के लाईन व अक्षर B से चिन्हित व दर्शित किया गया है, के स्वामित्व व कब्जा से पक्षकार प्रथम पक्ष का कोई भी वास्ता व सरोकार या अधिकार नहीं रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597397

17. यहकि पक्षकार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष स्वंय तथा प्रथम व द्वितीय पक्ष के अध्यासी कामन सुविधाओं वाले हिस्सों जैसे– सीढ़ी, पैसेज, लिफ्ट, चारों ओर के सेटबैक इत्यादि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण या अवरोध नहीं करेगें।

18. यह कि पक्षकार द्वितीय पक्ष प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य दो वर्ष में कर लेगें व आपसी सहमति से नौ माह का ग्रेस पीरियड प्राप्त होगा व उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूरा न होने की दशा में रू0 1,00,000/– (एक लाख) माहवार द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को क्षतिपूर्ति देना होगा।

19. यहकि प्रस्तावित भवन के निर्माण काल की गणना प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने व पक्षकार प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 597398

पर पक्षकार द्वितीय पक्ष को कार्य योग्य कब्जा हस्तानान्तरण के बाद शुरू होगा।

20. यहकि यदि निर्माण कार्य किन्ही ऐसे कारणो से जो कि पक्षकार द्वितीय पक्ष के नियन्त्रण के बाहर है, जैसे बाढ़, युद्ध, भूकम्प, सरकारी आदेश की पाबन्दी न्यायालय का स्थगन आदेश इत्यादि के कारण बॉधित होता हैं और विलम्बित होता हैं तो उस स्थिति में उसी अनुसार समय सीमा बढ़ जावेगा।

21. यह कि यदि पक्षकारगण के मध्य किसी तरह का कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष की सहमति से गठित पंचाट (Arbitrator) द्वारा हल करेंगे, जिसका निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा विवाद की दशा में क्षेत्राधिकार गोरखपुर में ही होगा।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 596169

22- यहकि वर्तमान समय में प्रश्नगत सम्पत्ति में जो भी किरायेदारान आबाद हैं, उनसे खाली करवाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी तथा यदि किसी किरायेदार को प्रश्नगत सम्पत्ति पर होने वाले नवनिर्माण में स्थान देने की बात तय पायी जाती है या फिर किसी भी प्रकार के समायोजन की स्थिति आती है तो ऐसा स्थान व समायोजन प्रथम पक्ष के हिस्से में होगा और उससे द्वितीय पक्ष कोई वास्ता, सरोकार नहीं होगा।

23- यहकि प्रथम पक्ष बतौर सुरक्षा धन रू0 50,00,000/– (पचास लाख) द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर चुकी हैं, जिसमें रुपया 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) नकद व रुपया 10,00,000/– (दस लाख) चेक नं0 045823 दिनांक 19.11.2014 यू. बी आई द्वारा व रुपया 8,00,000/– (आठ लाख) डी डी नं0 448782 दिनांक 19.11.2014 यू बी आई द्वारा व रुपया 8,00,000/– डी डी नं0 448783 दिनांक 19.11.2014 यू बी आई द्वारा व रुपया 9,00,000/– (नौ लाख) डी डी नं0 448784

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 596170

दिनांक 19.11.2014 यू बी आई द्वारा प्राप्त किये और गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् व प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्माण योग्य कब्जा, अन्तरण के समय द्वितीय पक्ष रू0 25,00,000/– (पच्चीस लाख) प्रथम पक्ष को अदा करेंगे। शर्त यह है कि सुरक्षा धन के रूप में प्राप्त धनराशि सम्पूर्ण धनराशि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद व प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद बिना ब्याज के प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस कर दिया जायेगा या फिर प्रथम पक्ष उक्त धनराशि के एवज में अपने हिस्से में प्राप्त होने वाले रकबे में द्वितीय पक्ष को समायोजित कर देगें।

24- यहकि प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य मानक के अनुसार द्वितीय पक्ष के द्वारा कराया जायेगा व भवन निर्माण सामग्री मानक स्तर के होगें।

25- यहकि नवनिर्मित भवन का नाम "गोविन्द ताम्रलेकर" होगा।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH CE 596162

26. यहकि यह बिलडर्स एग्रीमेन्ट प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित हो रहा है और किसी तीसरे पक्ष से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न होगा।

27. यहकि भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है, जिसका उल्लेख इस बिलडर्स एग्रीमेन्ट में नहीं किया गया है तो ऐसे प्रश्न पर प्रथम व द्वितीय पक्ष नियमानुसार आपसी सहमति से दोनों पक्षों के हित व लाभ को देखते हुए निर्णय लेगें।

यह कि प्रश्नगत सम्पत्ति जिस पर निर्माण होना है, उसका क्षेत्रफल 1531.59 वर्गमीटर है। जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर द्वारा निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार मुहल्ला शाहपुर नगर निगम गोरखपुर के वार्ड संख्या 59 में है, प्रश्नगत सम्पत्ति अक्षुण्ण चौराहा से गीता वाटिका होते हुए मानसी बाजार पुलिस चौकी तक जाने वाले सूचक मार्ग पर स्थित है। निर्धारित दर रुपया 30,000/– प्रति वर्ग मीटर है, किन्तु सामान्य निर्देश संख्या–28 (1) के अनुसार मात्र 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के लिए प्रभावी है व सामान्य निर्देश संख्या–28 (2) के अनुसार 500 वर्गमीटर से अधिक 1000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल तक 15 प्रतिशत छूट के पश्चात् रू0 25,500/– प्रति वर्गमीटर का दर प्रभावी है, इसी प्रकार सामान्य निर्देश संख्या–28 (3) के अनुसार 1000 वर्गमीटर

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH CE 596163

से अधिक 2000 वर्गमीटर तक के रकबे हेतु 20 प्रतिशत छूट के पश्चात् रू0 24,000/– प्रति वर्गमीटर का दर प्रभावी है। अर्थात् प्रथम 500 वर्गमीटर का मूल्यांकन रू0 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख) व द्वितीय 500 वर्गमीटर को मूल्यांकन रू0 1,27,50,000/– (एक करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार) व शेष 531.59 वर्गमीटर का मूल्यांकन रू0 1,27,58,160/– (एक करोड़ सत्ताइस लाख अट्ठावन हजार एक सौ साठ) व सुरक्षा धन की रकम रुपया 75,00,000/– (पचहत्तर लाख) को मिलाकर कुल मूल्यांकन रुपया 4,80,09,000/–(चार करोड़ अस्सी लाख नौ हजार) होता है जिस पर रू0 33,60,700/– के मूल्य का स्टाम्प शुल्क देदिया है जो लगदता है। उक्त स्टाम्प शुल्क पक्षकार द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है।

इस प्रकार से पक्षकार प्रथम पक्ष व पक्षकार द्वितीय पक्ष ने यह दस्तावेज बिलडर्स एग्रीमेन्ट खूब सोच समझकर पढ़कर, समझकर, अपनी स्वेच्छा से स्वस्थ बुद्धि से निष्पादित कर दे रहे हैं कि समय पर काम आये व प्रमाण रहे।

विवरण सम्पत्ति अन्तर्गत मुहल्ला – शाहपुर, तप्पा कस्बा, परगना – हवेली, तहसील– सदर, शहर व जिला गोरखपुर के गाटा संख्या 301 (तीन सौ एक) क्षेत्रफल– 1531.59 वर्गमीटर (एक हजार पॉच सौ एकतीस

18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH CE 596164

दशमलव बीच नौ वर्गमीटर), प्रथम पक्ष के सम्पूर्ण हक व हिस्से पर होने वाले बहुमंजिले भवन निर्माण के लिए यह विलेख साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया गया कि समय पर काम आये व प्रमाण रहे. जिसकी चौहद्दी हस्ब जैल है:–

उत्तर–बाउण्ड्रीवाल प्रथम पक्ष।

दक्षिण– रेलवे कालोनी की बाउण्ड्रीवाल।

पूरब – विनोद लाल व विनय लाल का मकान।

पश्चिम – असुरन से गीतावाटिका होते हुए पादरीबाजार पुलिस बूथ तक जाने वाला मुख्य मार्ग।

19

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH CE 596166

नक्शा नजरी बराय निबन्धन एतीमेण्ट मौजा शाहपुर गोरखपुर अराजी नम्बर 301 रकबा 1531.50 वर्ग मीटर जिसमें प्रथम पक्ष के हिस्से को "O" व द्वितीय पक्ष के हिस्से को "B" से दर्शाया गया है जो प्रत्येक दल के लिये है।

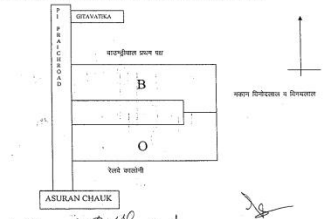

20

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH CE 596168

साक्षी Vinod Jaiswal S/o Late Sri Kamji Jaiswal Hata - Dist. Kushinagar

साक्षी Ravi Agarwal S/o Shri Shyam Sunder Agarwal Resi of - Lotu Sarat Residency Gorakhpur

प्रारूपक व तैयारकर्ता
अच्युतानन्द शुक्ल
एडवोकेट
19.11.2014

75
1002
19-11-14

215-ई-56

आज दिनांक 19/11/2014 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 10942

पृष्ठ सं. 223 से 264 पर कमांक 9766

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश कुमार त्रिपाठी
उप निबन्धक प्रथम
गोरखपुर
19/11/2014